

## कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E.mail: dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / † 039

अनूपपुर, दिनांक 1116(2928

प्रति,

वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल

विषय :- जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे0 (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे0 एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे0) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत्।

(FP/MP/WATER/50101/2020)

संदर्भ :- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-एमपीआर 032 / 2023-बीएचओ, दिनांक 22.12.2023

2— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म०प्र० भोपाल का पृ०क्रमांक/एफ-3/95/ 2020/10—11/8/301 भोपाल दिनांक 15.01.2024

3— मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक का पत्र क्र./10/न0परि0/ तक्0/2025 दिनांक 06.01.2025

## --000--

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा आवेदक संस्थान एवं वन विभाग से 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र क्र. 03 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दुओं की पूर्ति कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। वन मंडल स्तर से चाही गई जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित् है।

क्रण	चाही गई जानकारी	रिमार्क	
1	The proposed proposal comes under Bio.Sphere Reserve Area. Recommendation.comments shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 02 से 66 तक संलग्न है।	
2	KML file of Alternative alignments shall be submitted. uploaded on webportal.	Alternative alignments की के.एम. एल. फाईल आवेदक संस्थान द्वारा पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।	
3	Justification for location of the project shall be submitted uploaded.	Justification पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।	
4	No objection certificates of concerned departments (Road, TL, WRD etc) shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 67 में संलग्न है।	
5	Muck disposal Scheme shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 68 में संलग्न है।	
6	Administrative approval.Sanction letter of the project shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 69 से 87 में संलग्न है।	
7	Number of trees proposed in FRL, FRL.2 . FRL.4 shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 88 से 94 में संलग्न है।	
8	The proposed non.forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified.	6	
9	Catchment Area Treatment Plan shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 95 में संलग्न है। (पृथक से Catchment Area Treatment Plan संलग्न है।	



10	FRA certificate needs to be submitted.	पृष्ठ क्र. 96 में संलग्न है।
11	The proposal involved vicinity of areas and structures having cultural importance and it is to be constructed in biosphere reserve so prior discussing the proposal in REC, it is better to get a detailed technical report on the socio.cultural impacts of constructing the proposed reservoir along with impacts over adjoining wildlife.	पृष्ठ क्र. 97 से 98 में संलग्न है।
12	The Noc of local habitants.villagers for the project shall be submitted.	पृष्ठ क्र. 99 में संलग्न है।
13	In general the submergence area does not required felling of trees. The proposal involved felling of 3178 trees therefore, comments from the DFO shall be submitted in this regard.	पृष्ठ क्र. 100 में संलग्न है।
14	The cost benefit analysis in proescribed format required to submit.	आवेदक के पार्ट 1 के बिन्दु क्र. G में cost benefit analysis report पूर्व से अपलोड है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

(विपिन कुमार पटेल) (मा.व.से.)

But

वन मण्डलाधिकारी

अनूपपुर, दिनांक (1/6/2<sub>1</sub>25

पृ०क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 10 Y O

प्रतिलिपि :-

1– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल डिण्डौंरी की ओर सूचनार्थ।

3- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक की ओर सूचनार्थ।

वृत्र मण्डलाधिकारी

ान मण्डल अनूपपुर

## दो बिन्दु वन मण्डल अनूपपुर से संबंधित है, का प्रतिवेदन

8- The proposed non.forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified.

प्रकरण में वन मण्डल अनूपपुर में 3.418 हे0 एवं वन मण्डल डिण्डौरी में 14.00 हे0 कुल 17.418 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली वनभूमि के विरूद्ध आवेदक संस्थान ने निम्नानुसार गैर वन

भिम उपलब्ध कराई गई है।

· d

क्र.	परिक्षेत्र	ग्राम का	रकवा (हे.	मूमि की	कलेक्टर	रिमार्क
,,,,		नाम	में)	नोईयत	जिला	
			,		अनूपपुर का	
					आदेश क्र.	
1	अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	0022/अ-2	आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम
			खसरा नं.		0(3)	अमरकटक में 15.419 हे. गैर वन
			394/1/1		2022-23	भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध
			391 / 1		दिनांक 04.	कराई गई है।
			392/1		04.2023	
2	राजेन्द्रग्राम	बघार	5.00 हे0	वनभूमि	_	प्रकरण में कुल 17.418 हे0
			वनभूमि			वनभूमि प्रभावित हो रही है।
			कक्ष क्र.			प्रभावित होने वाली वन भूमि के
			पी.एफ.			विरूद्ध 15.419 हे0 राजस्व भूमि
			190			वृक्षारोपण हेतु ग्राम अमरकंटक में
						उपलब्ध कराई गई है। शेष 1.
						999 हे0 के विरूद्ध 5.00 हे0 की
						वनभूमि पर वृक्षारोपण योजना
						तैयार की गई है।

13. In general the submergence area does not required felling of trees. The proposal involved felling of 3178 trees therefore, comments from the DFO shall be submitted in this regard.

प्रकरण में वन मण्डल अनूपपुर में 3.418 हे0 वनभूमि में 610 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित बांध में प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई की जावेगी, जो वृक्ष डूब क्षेत्र से प्रभावित नहीं होंगी उन वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।

> **वन मण्डलाधिकारी** वन मण्डल अनूपपुर